

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
दिनांक : 04 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 तथा अनुबंध- III (ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दी गई हैं। महंगाई की दरों में संशोधन की अगलीकिश्त दिनांक 01.07.2018 से देय है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते की दरें निम्नलिखित रूप से देय हैं :

- (क) जिस तारीख से देय है : 01.07.2018
- (ख) मार्च, 2018- मई, 2018 तिमाही का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

मार्च, 2018	287
अप्रैल, 2018	288
मई, 2018	289
तिमाही का औसत	288

- (ग) मूल्य सूचकांक: 277.33 (दिनांक 01.01.2017 को)
- (घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 10.67 (288-277.33)
- (ङ) दिनांक 01-07-2018 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 3.8% $[(10.67 \div 277.33) \times 100]$

2. उपर्युक्त महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 3.8% औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03-08-2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

२५१
(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

२५१
(समसुल हक)
अवर सचिव